डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

09/2019

1. अरुण बैनीवाल पुत्र संजीव बैनीवाल जाति जाट निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा।
2. अर्जुन बैनीवाल पुत्र संजीव बैनीवाल जाति जाट निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. रवि पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी भूरटवाला त0 सिरसा हाल निवासी तहसील व जिला सिरसा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचंद शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 एसडीआर के खाता सं0 107/100 की कुल 2.024है0 एवं रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं0 106/94 की कुल 1.7710है0 रवि पुत्र मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में रवि पुत्र मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं0 1 करण बैनीवाल व वादी सं0 2 अर्जुन बैनीवाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/1/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:53:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

175/2024

1. ... बैनीवाल पुत्र रांजीव बैनीवाल जाति जाट निवारी गांधीबड़ी त० भादरा।
2. अर्जुन बैनीवाल पुत्र रांजीव बैनीवाल जाति जाट निवारी गांधीबड़ी त० भादरा।

वादीगण

बनाम

1. रवि पुत्र मनीराम जाति जाट निवारी भूरटवाला त० सिरसा हाल निवारी तहसील व जिला सिरसा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री एंड कपूरंचद शर्मा वादी
श्री सुरेन्द्र बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 5 एसडीआर के खाता सं० 107/100 की कुल 2.024है० एवं रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 106/94 की कुल 1.7710है० रवि पुत्र मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उक्त वाद भूमि वादी के दादा स्व० दयाराम के जीवनकाल से ही वादी परिवार की कब्जा कास्त मे चली आ रही है। जिसका माल लगान आदि वादी परिवार ही अदा करता आ रहा है। तथा वाद भूमि को प्रतिवादी ने न तो कभी काश्त किया है और न ही उन्होन वाद भूमि का कभी माल लगान अदा किया है। वाद भूमि की बाबत वादीगण एवं प्रतिवादी में दिनांक 19.08.2024 को के रोज एक मौखिक बाहमी राजीनामा से समझौता हो गया जिसमें उक्त भूमि को प्रतिवादी ने वादीगण के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया है। इसलिए वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 ने आपसी सहमती से राजीनामा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:53:07 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादी अर्जुन बैनीवाल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। जिनमें वर्तमान जमाबंदी चक 5 एसडीआर प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 8 एसडीआर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

... मिस्दावरी वाद भूमि प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिन्हे सही होना स्वीकार किया

... वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि ... वादी की पैतृक सम्पति है। उक्त वाद भूमि वादीगण के दादा स्व0 दयाराम के ... से ही वादी परिवार की कब्जा काश्त मे चली आ रही है। जिसका माल लगान आदि ... ही अदा करता आ रहा है। तथा वाद भूमि को प्रतिवादी ने न तो कभी काश्त किया ... ही उन्होने वाद भूमि का कभी माल लगान अदा किया है। वाद भूमि की बाबत ... एवं प्रतिवादी में दिनांक 19.08.2024 को दिपावली के रोज एक मौखिक बाह्मी राजीनामा ... हो गया जिसमें उक्त भूमि को प्रतिवादी ने वादीगण के पक्ष में तर्क कर अपना हक ... शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन ... जिस पर वकील प्रतिवादी ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा 5 एसडीआर के खाता सं0 107/100 की कुल 2.024है0 एवं रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं0 106/94 की कुल 1.7710है0 रवि पुत्र मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा 5 एसडीआर के खाता सं0 107/100 की कुल 2.024है0 एवं रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं0 106/94 की कुल 1.7710है0 रवि पुत्र मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में रवि पुत्र मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं0 1 करण बैनीवाल व वादी सं0 2 अर्जुन बैनीवाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:53:07 IST
Reason: SelfAttested